अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियाँ, आर०ए०एस०

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 37/15

श्रीमति सुमित्रादेवी पत्नी कमलेश कुमार निवासी नेहरू नगर चक 6 ई छोटी, श्री गंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत धर्मसिंहवाला हाल पंचायत ख्यालीवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. खेल का मैदान (सार्वजनिक स्थल) 16 बी एन डब्ल्यू स्यागावाली तह0 सादुलशहर जिला श्री गंगानगर जरिये ग्राम पंचायत ख्यालीवाला

अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1 श्री भजनसिंह, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता

2. श्री सुभाष मिढा, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 1

आदेश

दिनांक : 04-05-2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि बुधराम पुत्र सुखराम के पास गाँव स्यांगावाली तहसील सादुलशहर में एक अहाता दक्षिण की तरफ 7.8 फुट, पश्चिम की तरफ 21.7 फुट, उत्तर की तरफ 63.7 फुट तथा पूर्व की तरफ 12.4 फुट सन् 2009 से करीब 40 साल पूर्व से कब्जा चला आ रहा है, जिसके दक्षिण में सड़क आम, पश्चिम में सुरेशकुमार जांगिड़ का मकान, उत्तर में वॉलीबाल ग्राउण्ड व पूर्व में एम पी सिंह का मकान लगता था। बुधराम द्वारा अपने उपरोक्त भूखण्ड को जरिये इंकरारनामा दिनांक 12.12.09 को सुरेशकुमार जांगिड़ को विक्रय कर दिया तथा सुरेश कुमार जागिड़ द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 23.04.10 को निगरानीकर्ता को विक्रय किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी लागत से कुछ निर्माण करवाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता के खरीदशुदा अहाते की जगह को साथ मिलाते हुए 10,988 वर्गफुट के अहाता के रूप में अप्रार्थी सं0 2 जो खेल मैदान है, को निःशुल्क पट्टा दिनांक 5-3-2001 को जारी कर दिया गया है। ग्राम पंचायत को निःशुल्क पट्टा जारी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । निगरानीकृत पट्टा नियम 157 से 159 के अन्तर्गत जारी किया गया है जबकि

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नियम 150 व 152 में भी निःशुल्क पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। पट्टा जारी करने से पूर्व कानूनी प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। अप्रार्थी सं0 2 ने कब किस तारीख को आवेदन किया, क्या प्रकिया अपनाई गई। इस संबंध में ग्राम पंचायत के पास कोई रेकार्ड नहीं है। बुधराम का कब्जा निगरानीकर्ता द्वारा खरीद किये गये भूखण्ड की हद तक 40 साल पुराना होने से तथा पंचायत की सहमति होने से बुधराम नियमन का पात्र था तथा बुधराम के समस्त अधिकार निगरानीकर्ता में अंतरित हो जाने के कारण वह भी नियमन का पात्र था। अप्रार्थी सं0 2 रजिस्टर्ड संस्था नहीं है और न ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है एवं न ही इसके अध्यक्ष एवं मुखिया का विवरण दिया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

निगरानीकृत पट्टा से संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि निगरानीकृत भूखण्ड पर बुधराम का कब्जा पिछले चालीस वर्षो से है। बुधराम द्वारा निगरानीकृत प्लाट सुरेश कुमार जांगिड़ को विक्रय किया गया। सुरेश कुमार जागिड़ से निगरानीकर्ता ने जरिये इंकरारनामा दिनांक 23–4–10 को खरीद लिया। इस प्रकार बुधराम के समस्त अधिकार निगरानीकर्ता में अंतरित हो जाने के कारण वह निगरानीकृत भूखण्ड को नियमन कराने का पात्र था। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी लागत से कुछ निर्माण करवाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता के खरीदशुदा अहाते की जगह को साथ मिलाते हुए 10,988 वर्गफुट के अहाता के रूप में अप्रार्थी सं0 2 जो खेल मैदान है, को निःशुल्क पट्टा दिनांक 5–3–2001 को जारी कर दिया गया है। ग्राम पंचायत को निःशुल्क पट्टा जारी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । पट्टा जारी करने से पूर्व कानूनी प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। अप्रार्थी सं0 2 ने कब किस तारीख को आवेदन किया, क्या प्रकिया अपनाई गई। इस संबंध में ग्राम पंचायत के पास कोई रेकार्ड नहीं है। अप्रार्थी सं0 2 रजिस्टर्ड संस्था नहीं है और न ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है एवं न ही इसके अध्यक्ष एवं मुखिया का विवरण दिया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि निगरानीकर्ता के पास निगरानीकृत भूखण्ड के संबंध में कोई विधिक अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता को न तो विधिक पट्टा जारी किया है और न ही नियमन की कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी सं0 2 को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 5–3–2001 को निगरानीकृत पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा 15 वर्ष बाद अत्यधिक

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

देरी से निगरानी पेश की गई है। अतः निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता ने निगरानी के माध्यम से निगरानीकृत भूखण्ड जिसका पट्टा अप्रार्थी सं0 2 खेल मैदान को निःशुल्क दिनांक 5–3–2001 को जारी किया गया है, को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है।

निगरानीकर्ता ने निगरानी में वर्णित किया है कि बुधराम पुत्र सुखराम के पास गॉव स्यागांवाली तह0 सादुलशहर में एक अहाता दक्षिण की तरफ 7.8 फुट, पश्चिम की तरफ 21.7 फुट, उत्तर की तरफ 63.7 फुट तथा पूर्व की तरफ 12.4 फुट सन् 2009 से करीब 40 साल पूर्व से कब्जा चला आ रहा है, जिसके दक्षिण में सड़क आम, पश्चिम में सुरेशकुमार जांगिड़ का मकान, उत्तर में बॉलीवाल ग्राउण्ड व पूर्व में एम पी सिंह का मकान लगता था। बुधराम द्वारा अपने उपरोक्त भूखण्ड को जरिये इकरारनामा दिनांक 12.12.09 को सुरेशकुमार जांगिड़ का विक्रय कर दिया तथा सुरेश कुमार जागिड़ द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 23.04.10 के निगरानीकर्ता को विक्रय किया गया। इस प्रकार निगरानीकर्ता के कथनानुसार उसे द्वारा कब्जा शुदा अहाता को जरिये इकरारनामा खरीद किया गया है यानि निगरानीकृत अहाता के संबंध में निगरानीकर्ता के पास विधिक अधिकार एवं हक नहीं है।

जहॉ तक निगरानीकृत भूखण्ड को निःशुल्क आवंटन का प्रश्न है, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के नियम 1996 के नियम 162 के अनुसार :–

162. Allotment of Abadi land to Government Institutions
[1] Panchayat may allot lands free of charge within abadi area to School, Dispensery,Anganvadi, upto 500 sq. yards subject to confirmation by the Zila Parishad concerned.
[2] Any other allotment free of charge or at concessional price shall be only with the prior approval of the State Government.

हस्तगत निगरानी प्रकरण में अप्रार्थी सं0 2 खेल मैदान (सार्वजनिक उपयोग के लिए) को जो निगरानीकृत पट्टा जारी किया गया है, वह 500 सक्यूअर यार्ड से अधिक का है तथा नियम 162(2) के अन्तर्गत यदि निःशुल्क पट्टा /रियायती दर पर पट्टा जारी करना हो तो उसकी स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त करना

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

आज्ञाप्क प्रावधान है, जिसकी ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के नियम 1996 के नियम 162 की अनदेखी कर, निगरानीकृत पट्टा जारी किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में , मेरे विन्रम मत में नियम 162 की पालना करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्ता की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थी सं0 2 जरिये ग्राम पंचायत, ख्यालीवाला खेल मैदान को दिनांक 5–3–2001 को जारी निःशुल्क पट्टा निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के नियम 1996 के नियम 162 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए, पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 04–05–2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner